कदमा अल्कमन

न्यायालय

रितेष सैनी बनाम हेमराज सैनी

मुकदमा संख्या /वर्ष 228/2020 : /20

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	17/12/21	पत्रावली पेश हुई। वकलाय प्यारीमेन उपस्थित वादीगण की ओर से संरक्षिका माता सुनिता पत्नि हेमराज तो मय अधिवक्ता उपस्थित होकर प्राय पत्र बाबत विद्रा किये जाने बाद पत्र प्रस्तुत किया गया। कि वाद पत्र में वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति बाबत दोनों पक्षों के मध्य निस्तारण हो चुका है। भविष्य में प्राणीय प्रतिवादी हेमराज की समस्त चल व अचल सम्पत्ति किसी भी प्रकार का कोई हिस्सा हक हकुक की दावेदारी किसी भी न्यायालय में नहीं करेगी दोनों पक्षों में आपसी सहमति से वर्णित सम्पत्ति बाबत अब कोई लेना देना शेष नहीं है जिस कारण प्राणीयों उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहती है तथा उक्त प्रकरण की विद्रा के आधार पर खारिज करवाना चाहती है, बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया अतः प्राय पत्र स्वीकार प्राय पत्र स्वीकार किया जाकर वाद को विद्रा के आधार पर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज न० से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	सुनिता वादिया Identify by Shiv 17/12/2021 NOC (पुष्पेन्द्र सिंह) अग्रवाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:51:31 IST
Reason: SelfAttested